उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति की 9वीं बैठक दिनांक–21 मई, 2013 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

सर्व श्री–

1. सी0 बी0 पालीवाल, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. एस0 पी0 गोयल, सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुकेश मित्तल सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. संजीव कुमार, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. लालजी राय, विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. संजय सिंह, विशेष सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. देवी प्रसाद, उप सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. शिव जनम चौधरी, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. ए0 के0 मित्तल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. आर0 पी0 सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
12. ओ0 पी0 वर्मा, निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, गोमती नगर लखनऊ।
13. जे0 एस0 यादव, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14. एस0 एस0 भुप्पल, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
15. प्रदीप कुमार, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
16. उमा कान्त त्रिपाठी, प्रभारी नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
17. सुधीर शाह, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
18. डा0 राजीव उपाध्याय, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
19. रमेश सिंह, मुख्य अभियंता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लख्सनऊ।
20. बी0 सरन, अधिशासी अभियंता, यू.पी.एस.आईडी.सी. लखनऊ।
21. अजय जौहरी, मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
22. आर0 एन0 भार्गव, सीएमडी, इको मेन लैब, अलीगंज, लखनऊ।
23. हरीश चन्द्र, तकनीकी सलाहकार, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी अभिकरण, लखनऊ।
24. ए0 के0 सिंह, तकनीकी प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।

बैठक में सर्वप्रथम समिति के सदस्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बैठक के एजेण्डा विन्दुओं से अवगत कराया गया। एजेण्डा विन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये :–

<u>एजेण्डा बिन्दु –9.1</u>

"मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति की दिनांक–0 5.12.2011 को सम्पन्न 8वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।"

बैठक में प्राधिकरण के अन्तर्गत गठित राज्य कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक–05.12.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

...2/-

एजेण्डा बिन्दु –9.2

"मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति की दिनांक–05.12.2011 को सम्पन्न 8वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या का संज्ञान लिया जाना।"

राज्य कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक–05.12.2011 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के समक्ष रखा गया। कार्यवृत्त के अनुपालन आख्या के कुल सात बिन्दु पर समिति द्वारा अवलोकन करते हुए अनुपालन आख्या का संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–9.3

"भारत सरकार को प्रेषित वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित परियोजनाओं का संज्ञान लिया जाना।"

राज्य कार्यकारी समिति की 8वीं बैठक दिनांक–05.12.2011 के एजेण्डा बिन्दु 8.2 पर वित्तीय वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्य योजना लागत ₹ 841.62 करोड़ का अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया था। इसके सापेक्ष भारत सरकार के एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत एम्पावर्ड स्टेयरिंग कमेटी की पांचवी बैठक दिनांक–18.07.2012 को कुल ₹ 697.90 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना 2012–13 अनुमोदित की गयी। इस कार्य योजना में कुल 7 निर्माणाधीन योजनाएं, 7 नयी परियोजनाएं तथा 5 इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेन्ट की कुल 19 योजनाएं स्वीकृत हुई जिनके सापेक्ष वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 192.64 करोड़ का धनावंटन अभिकरण को प्राप्त हुआ तथा कुल ₹ 109.106 करोड़ का व्यय किया गया।

समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया तथा संलग्नकों का अवलोकन करते हुए वर्षिक कार्य योजना–2012–13 का संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–9.4

"एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 की कार्य योजना में प्रस्तावित योजनाओं की डी.पी.आर. प्रस्तुत किये जाने की स्थिति का संज्ञान लिया जाना।"

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2012.2013 में एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर की 5, वाराणसी नगर की 2 एवं कानपुर नगर की 4, कुल 11 योजनाओं की डी.पी.आर. भारत सरकार को प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित की गयी थी। समिति द्वारा इन योजनाओं की डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के कलेण्डर का अवलोकन किया गया।

इलाहाबाद नगर की 5 योजनाओं में से मात्र दो योजनाएं: 14 एम.एल.डी. सलोरी एस.टी.पी. एवं सीवरेज स्कीम डिस्ट्रिक्ट–सी तथा कानपुर नगर की मात्र एक योजना सीवरेज स्कीम डिस्ट्रिक्ट–I की डी.पी.आर., एन.एम.सी.जी. नई दिल्ली को प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार कार्ययोजना में अनुमोदित सभी योजनाओं की डी.पी.आर. एन.एम.सी.जी. को वर्षान्त तक नहीं प्रस्तुत की गयी है।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्ययोजना में शामिल योजनाओं की डी.पी.आर. प्राथमिकता पर तैयार करायी जायें और अधिकाधिक योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाये।

प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा बताया गया कि इलाहाबाद नगर के 14 एम. एल.डी सलोरी एस.टी.पी. तथा डिस्ट्रिक्ट–सी की सीवरेज स्कीम, दोनों को एकीकृत करके एक डी.पी.आर. बनाने तथा DBO (Design Build Operate) के आधार पर कार्य प्रारम्भ कराने हेतु

...3/-

सैद्वान्तिक स्वीकृति एन.एम.सी.जी. से प्राप्त हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट–सी का प्राक्कलन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा बनाया जा रहा है जो विश्व बैंक द्वारा चयनित कंसल्टेन्ट है। टाटा कंसल्टेंसी द्वारा डिस्ट्रिक्ट–सी के प्राक्कलन का संशोधन करके अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। शेष अन्य प्राक्कलन प्राथमिकता पर बनवाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्य योजना में शामिल योजनाओं की डी.पी.आर. प्राथमिकता पर बनवायी जायें। रीवर फ्रन्ट डेवलपमेंट की परियोजना को तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन का कार्य सिंचाई विभाग के बजाय, संबंधित नगरों के विकास प्राधिकरणों से कराया जाय। प्रमुख सचिव नगर विकास उ0प्र0 शासन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इस इस संबंध में सिंचाई विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन तथा उ0प्र0 जल निगम के साथ एक बैठक करके निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य हेतु संबंधित नगर का विकास प्राधिकरण, नोडल एजेन्सी होगा तथा सिंचाई विभाग, नगर निगम व जल निगम द्वारा अपने से संबंधित बिन्दुओं पर सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

एजेण्डा बिन्दु–9.5

"एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम में गंगा नदी के किनारे बसे विभिन्न नगरों की एफ.आर./डी.पी.आर. बनवाने के लिये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन एथारिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से ₹ 1.50 करोड़ की धनराशि अभिकरण को उपलब्ध कराने के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन।"

राज्य कार्यकारी समिति की 8वीं बैठक दिनांक 05.12.2011 में यह निर्देश दिये गये थे कि योजनाओं की एफ.आर./डी.पी.आर. आदि बनाने हेतु कार्यदायी संस्था को धन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जाये। उक्त के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण की कार्यकारिणी बैठक दिनांक 22.05.2012 में ₹ 1.5 करोड़ की धनराशि राज्य बजट से अभिकरण को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया। कार्य योजना में शामिल योजनाओं की एफ.आर./डी.पी.आर. बनाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को धन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक पाया गया। इस संबध में समिति द्वारा निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विभिन्न नगरों की एफ.आर./डी.पी.आर. बनवाने के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगर विकास विभाग द्वारा नेशनल गंगा रिवर बेसिन एथारिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से ₹ 1.50 करोड़ की धनराशि राज्य बजट से अभिकरण को उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति/परामर्श से कार्यवाही की जाय।

एजेण्डा बिन्दु–9.6

"प्रदेश की मुख्य नदियों के किनारे बसे नगरों की पुनरीक्षित सूची में कानपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी को छोड़कर अन्य नगरों की प्राथमिकता निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन।"

प्रदेश की 10 प्रमुख नदियों के किनारे बसे कुल 54 नगरों में उत्पादित होने वाले सीवेज का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। इलाहाबाद, कानपुर तथा वाराणसी में सर्वाधिक सीवेज उत्पन्न होता है। गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित इन्हीं नगरों से निकलने वाले सीवेज से हो रही है।

..4/–

प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं संदस्य सचिव, एस.जी.आर.सी.ए. द्वारा बताया गया कि उक्त तीन नगरों में सीवरेज योजनाएं प्रथम वरीयता पर लागू की जा रही है। मा0 मुख्य मंत्री जी की बैठक दिनांक–03.05.2012 में निर्देश दिये गये थे कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर बसे नगर यदि छूट गये हो तो उनका समावेश भी कर लिया जाये। मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार सूची तैयार कर ली गयी है, जिसमें उक्त तीन महानगरों के अतिरिक्त मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, मिर्जापुर, नरौरा एवं बुलन्दशहर में सीवरेज योजनाएं प्राथमिकता पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा उक्त के अतिरिक्त नगरों में नरौरा एवं बुलन्दशहर को शामिल करने के औचित्य का बिन्दु उठाया गया क्योंकि इन नगरों से अधिक सीवेज उत्पादित करने वाले फत्तेहगढ़ (फर्रूखाबाद) जैसे नगरों को छोड़ दिया गया है।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा स्पष्ट किया गया कि नरौरा शहर गंगा नदी मेन स्टेम पर बसा है और गंगा नदी के इस रीच में डॉलफिन सैंक्चुयरी के दृष्टिगत यहाँ प्रदूषण नियंत्रण कार्यों को प्राथमिकता दी जानी है।

एजेण्डा बिन्दु पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी और निम्नानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

"नगरवार विवरण (एजेण्डा के संलग्नक–4, पृष्ठ 22–24) में से कानपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी के अतिरिक्त मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, मिर्जापुर, नरौरा एवं अनूपशहर में सीवरेज योजनाएं भी प्राथमिकता पर कियान्वित की जायं।"

<u>एजेण्डा बिन्दु 9.7</u>

"एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वीकृत 07 योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संज्ञान लिया जाना।"

वर्तमान में एन.जी.आर.बी.ए. के अर्न्तगत कुल 7 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु पर रखे गये प्रगति विवरण का अवलोकन किया गया।

इलाहाबाद नगर की दो योजनाओं की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। प्रबंध निदेशक जल निगम द्वारा बताया गया कि इलाहाबाद सीवरेज नॉन–सीवरेज योजना के अन्तर्गत 4 एस.टी.पी निर्मित करके कुम्भ मेला–2013 से पूर्व ही चालू कर दिया गया है। कुम्भ मेले के दौरान आवागमन के दृष्टिगत सीवर लाइने बिछाने का कार्य बन्द कर दिया गया था, जिसके कारण योजनाएं निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं की जा सकी हैं। समय वृद्वि की मांग की गयी है और कार्य तेजी से कराये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका संख्या–4003/2006 रि–गंगा पालूशंन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा.उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किये गये है कि इलाहाबाद शहर से निकलने वाले सीवेज को ट्रीटमेंट के पश्चात गंगा नदी में नहीं डाला जायेगा। इसका सिंचाई हेतु उपयोग किया जाय। तदनुकम में ट्रीटेड पानी के चैनल हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलित है। नुमयाडाही एस.टी.पी. से शोधित उत्प्रवाह को सीवेज फार्मिंग हेतु प्रयोग में लाया जाना है। इस के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रकिया जारी है।

गढ़मुक्तेश्वर नगर की सीवरेज योजना की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। इस नगर में एक एस.टी.पी. की भूमि पर कोर्ट का स्थगन आदेश के कारण वैकल्पिक भूमि का चयन कर लिया गया है तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कार्य पूर्ण करने की संशोधित तिथि मार्च, 2014 रखी गयी है जिसके लिए समय वृद्वि की मांग की गयी है।

...5/-

कन्नौज एवं मुरादाबाद नगरों की योजनाओं की प्रगति धीमी पायी गयी। प्रबन्ध निदेशक जल निगम द्वारा बताया गया कि दोनों ही योजनाओं की एस.टी.पी. की भूमि पर विवाद है, जिसके कारण योजनाओं की प्रगति कम है। एस.टी.पी. की भूमि उपलब्ध न होने के कारण योजना के अन्य कार्य भी प्रारम्भ कराये जाने सम्भव नहीं हो पा रहे हैं। मुरादाबाद नगर की योजना में एस.टी.पी. हेतु वैकल्पिक भूमि चयनित कर ली गयी है और कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। कन्नौज नगर की योजना में एस.टी.पी. की भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिसके कारण कार्य की प्रगति अवरूद्ध है।

वाराणसी नगर की दोनों योजनाओं की प्रगति अत्यन्त धीमी पायी गयी। अस्सी घाट रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट योजना में प्रस्तावति कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जा सके हैं। नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा बताया गया कि अस्सी घाट पर जमी हुई मिट्टी उठाने का टेण्डर दे दिया गया है। नदी तट से 200 मीटर तक की दूरी के मध्य विकास कार्य कराने की अनुमति हेतु मा0 उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा चुका है। साथ ही साथ नदी तट पर विभिन्न ट्रस्टों के समक्ष खाली पड़ी भूमि पर पार्क आदि के विकास हेतु आपसी सहमति से कार्य प्रारम्भ कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

वाराणसी में जायका सहायतित योजना के एस.टी.पी. निर्माण हेतु निविदाएं आमांत्रित कर ली गयी है। इस योजना पर पी.एम.सी. के गठन में विलम्ब हुआ तथा निविदाओं पर जायका से सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होता हैं जिसमें काफी समय लग जाता है। वर्तमान में अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त हो गयी हैं और प्रगति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा वाराणसी नगर के कार्यों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ अन्य नगरों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। साथ ही कन्नौज की भूमि हेतु जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये जायें।

<u>एजेण्डा बिन्दु–9.8</u>

"एनजीआरबीए कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों का थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन कराये जाने हेतु संस्थाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन।"

राज्य कार्यकारी समिति की 8वीं बैठक दिनांक–05.12.2011 के एजेण्डा बिन्दु 8.3 में यह निर्णय लिया गया था कि इलाहाबाद नगर के कार्यो हेतु आई.टी.बी.एच.यू. से प्रस्तावित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि अन्य शहरों के लिये भी थर्ड पार्टी इंसपेक्शन के प्रस्ताव मंगाकर प्रस्तुत किये जायें तथा इलाहाबाद नगर की योजनाओं हेतु एम.एन.एन.आई.टी. इलाहाबाद से थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन हेतु एक बार अनुरोध कर लिया जाये क्योंकि स्थानीय संस्था होने के कारण उनके द्वारा स्थानीय निरीक्षण संभव हो सकेगा।

प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इलाहाबाद नगर के थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन हेतु एम.एन.एन.आई.टी. इलाहाबाद से अनुरोध किया गया था परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एन.एम.सी.जी. द्वारा निर्धारित व्यय सीमा (₹ 5000 प्रति विजिट) से अधिक होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। वाराणसी नगर की योजनाओं के थर्ड पार्टी इंसपेक्शन हेतु आई.टी.बी.एच.यू. का प्रस्ताव शीघ्रता से प्राप्त किया जाय। कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर एवं मुरादाबाद नगरों हेतु टी.पी.आई. के प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

---6/-

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए "कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर एवं मुरादाबाद नगर के कार्यों के **Third Party Inspection** हेतु कार्यकारी समिति द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

क.	योजना का नाम एवं लागत (₹ करोड़ में)	थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन हेतु नामित संस्था
1	कन्नौज सीवरेज स्कीम फेस–II, (₹ 43.66)	एच.बी.टी.आई कानपुर
2	गढ़मुक्तेश्वर में सीवरेज सिस्टम एवं एस.टी.पी. (₹. 46.51)	जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली
3	प्रीवेन्शन ऑफ पोल्यूशन ऑफ रिवर रामगंगा एट मुरादाबाद (₹ 279.92)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

एजेण्डा बिन्दु–9.9

"उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के कार्यालय 2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर स्थापित किये जाने का संज्ञान लिया जाना।"

समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु का अवलोकन किया गया। उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अन्तर्गत गठित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1960) के अनुसार पंजीकृत "राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण" का कार्यालय, 2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग लखनऊ में स्थापित होने का संज्ञान समिति द्वारा लिया गया।

एप्रोच पेपर आन एस.पी.एम.जी. के अनुसार एस.पी.एम.जी/अभिकरण कार्यालय हेतु 4672 वर्ग फिट कवर्ड एरिया तथा 2328 वर्ग फिट ओपेन एरिया की आवयश्यकता सूचित की गयी है। एन.एम.सी.जी. द्वारा कार्यालय भवन हेतु स्वीकृत कवर्ड एरिया के सापेक्ष वर्तमान कार्यालय भवन में पर्याप्त कवर्ड एरिया उपलब्ध नहीं है। एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार कुल 19 पदों के स्टाफ की तैनाती की जानी है, जिसका प्रस्ताव भारत सरकार में अनुमोदन हेतु विचाराधीन है, इनकी तैनाती के उपरान्त अभिकरण कार्यालय हेतु अलग से भवन निर्धारित सीमा ₹ 2.00 लाख प्रतिमाह के अन्दर किराये पर लिया जाना आवश्यक होगा। एनजीआरबीए फ्रेमवर्क के अनुसार समस्त 19 पदों के सापेक्ष स्टाफ की तैनाती के उपरान्त यथासमय नया कार्यालय भवन किराये पर लेने की कार्यवाही की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु–9.10

"अभिकरण में कार्यकारी आदेशों द्वारा संविदा पर की गयी पूर्णकालिक नियुक्तियों का अनुमोदन।"

प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग एवं सदस्य सचिव राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के अन्तर्गत गठित "राज्य गंगा नदी सरंक्षण अभिकरण" में स्टाफिंग पैटर्न संबंधी शासनादेश सं0–4245/नौ–5–12–6एन.जी.आर.बी.ए./2012टी.सी. दिनांक–13.12.2012 को जारी हुआ है। इसके समक्ष नियुक्तियों हेतु ई.ओ.आई. का अनुमोदन, एन.एम.सी.जी./वर्ल्ड बैंक से किया जाना आवश्यक है जो माह जनवरी, 2013 से भारत सरकार को भेजा गया हैं। शीघ्र अनुमोदन हेतु तीन–चार अनुस्मारक भी भेजे गये हैं और भारत सरकार की बैठकों में भी यह बिन्दु उठाया गया है। अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत पदों पर नियुक्तियों के कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी। पूर्व में परियोजना निदेशक के कार्यकारी आदेशों से अपर परियोजना निदेशक व सोशल विशेषज्ञ के पद पर संविदा पर नियुक्तियां की गयी थीं जिनके अनुमोदन का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया

---7/-

है। इसके साथ–साथ वरिष्ठ अभियन्ता सिविल एवं नदी विशेषज्ञ तथा सहायक जी.आई.एस. विशेषज्ञ की संविदा समयवृद्धि आवश्यकतानुसार प्रदान की गयी है।

वर्तमान में परियोजना निदेशक पद का कार्य प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, श्री सी.बी. पालीवाल तथा अपर परियोजना निदेशक पद का कार्यभार श्री श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास द्वारा देखा जा रहा है।

राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण में उपरोक्तानुसार की गयी नियुक्तियों का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया। अभिकरण में शासनादेश के अनुसार शीघ्र नियुक्तियां कराने के निर्देश दिये गये। समिति के समक्ष रखे गये निम्न प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

(क) उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के परियोजना निदेशक पद पर श्री सी.बी. पालीवाल, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन तथा अपर परियोजना निदशक के पद पर श्री श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को पदेन कार्यभार संचालन के प्रस्ताव का अनुमोदन।

(ख) अभिकरण के कार्यकारिणी समिति की तीसरी बैठक दिनांक 22.05.2012 में श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अपर परि0 निदेशक को दिनांक 01.02.2012 से दिनांक 31.07.2012 तक कुल 6 माह तथा आर. पी. शुक्ला सोशल विशेषज्ञ को दिनांक 01.02.2011 से दिनांक 31.01.2013 तक कुल 01 वर्ष संविदा पर कार्य करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

(ग) अभिकरण के कार्य संचालन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत श्री जी.डी. सिंघल वरिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं नदी विशेषज्ञ को दिनांक 01.11.2012 से दिनांक 31.01.2013 तक कुल तीन माह तथा श्री राजीव सोनकर सहायक जी.आई.एस. विशेषज्ञ को दिनांक 02.11.2012 से दिनांक 02.02.2013 तक कुल तीन माह की संविदा समय वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन।

<u>अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु–9.11</u>

"एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित परियोजनाओं का अनुमोदन।"

प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं संदस्य सचिव, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2013–14 का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस कार्य योजना में कुल 40 योजनाएं रखी गयी हैं जिनमें सात निर्माणाधीन योजनाएं तथा कुल 28 नयी योजनाएं स्वीकृत कराने का प्रस्ताव रखा गया है। नयी योजनाओं में 20 योजनाएं सीवरेज कार्यों, एक योजना औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, 5 योजनाएं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा दो योजनाएं रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट संबंधी हैं। अभिकरण के कार्यकलापों के सम्पादन हेतु 5 योजना रखी गयी हैं।

वार्षिक कार्यों में शामिल कुल योजनाओं की अनुमानित लागत ₹ 10838.00 करोड़ है तथा इनके समक्ष वर्ष 2013–14 में ₹ 999.00 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। इस प्राविधान में निर्माणाधीन योजनाओं हेतु ₹ 300.43 करोड़, नयी योजनाओं हेतु ₹ 682.50 करोड़ तथा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हेतु ₹ 16.10 करोड़ का हिस्सा रखा गया। वार्षिक कार्य योजना 2013–14 का प्रस्ताव राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 04.03.2013 में पारित किया गया है।

समिति द्वारा उक्त कार्य योजना का अवलोकन किया गया। मुख्य सचिव द्वारा कानपुर नगर में टैनरियों से निकलने वाले उत्प्रवाह के शोधन हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर डी.पी.आर.

-8/-

बनाने के निर्देश दिये गये। प्रबन्ध निदेशक जल निगम द्वारा बताया गया कि सी.एल.आर.आई चेन्नई द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 50 एम.एल.डी. क्षमता का सी.ई.टी.पी. बनाने का सुझाव दिया गया है। प्राक्कलन बनाने हेतु कुल ₹ 8.00 करोड़ की फीस मांगी गयी है जिसमें से ₹ 4.00 की धनराशि आग्रिम प्राप्त होने के उपरान्त ही डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा। प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि ₹ 4.00 करोड़ की धनराशि एन.एम.सी.जी. से मांगी गयी है जो शीघ्र प्राप्त होनी सम्भावित है।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2013–14 का समिति द्वारा अवलोकन करते हुए निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

"उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण द्वारा एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गयी वर्ष 2013–14 की कार्ययोजना प्राविधानित धनराशि ₹ 999.00 करोड़ को अनुमोदित किया जाता है।"

<u>अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु–9.12</u>

"एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित योजनाओं की एफ.आर./डी.पी.आर. प्रस्तुत किये जाने के कलेण्डर का संज्ञान में लिया जाना।"

प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं संदस्य सचिव, द्वारा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2013–14 में शामिल की गयी नयी योजनाओं को प्रस्तुत करने का कलेण्डर समिति के समक्ष रखा गया।

समिति द्वारा कलेण्डर का अवलोकन किया गया तथा संज्ञान लेते हुए समस्त योजनाएं निर्धारित तिथियों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

<u>अन्य बिन्दु</u>

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिये गये कि परियोजनान्तर्गत कियान्वित सीवरेज योजनाओं के साथ–साथ नॉन–सीवरेज योजनाओं यथा–सुलभ शौचालय तथा धोबी घाट इत्यादि के निर्माण कार्य की भी समीक्षा समिति द्वारा की जायेगी तथा आगामी वर्ष की कार्य योजनाओं में इसको भी शामिल किया जाय। योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय जनता की सहभागिता प्रचार–प्रसार तथा सूचना के माध्यम से सुनिश्चित की जाय। जनसहभागिता के कार्य को भी अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाये और क्रियान्वयन में जनता का सहयोग प्राप्त किया जाये। इसके अतिरिक्त जन सहभागिता के कार्यक्रम की योजनाओं को भी कार्य योजनाओं में रखी जायें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

(सी0 बी0 पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

--9/-

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–3527 / नौ–5–2013–146सा / 2012
लखनऊः दिनांक 25 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यावरण / वन / वित्त / लोक निर्माण / आवास एवं शहरी नियोजन / ऊर्जा एवं सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमती नगर लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर / इलाहाबाद एवं वाराणसी।
8. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमती नगर लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. प्रधान / मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
13. डा0 विनोद तारे, प्रो0 इन्वायरमेंटल इंजीयरिंग, आई.आई.टी. कानपुर।
14. डा0 कृष्ण गोपाल, साइंटिस्ट, एफ एण्ड हेड, इक्वाटिक टेक्सकोलॉजी डिवीजन, पी.ओ. 80 एम.जी. रोड, आई.टी.आर.सी. लखनऊ।
15. डा0 आर.एन.भार्गव, प्रबन्ध निदेशक, इकोमेन लैब (पी) लि. अलीगंज, लखनऊ।
16. डा0 सुरेश कुमार रोहिला, साकेत 12–एफ, फ्लैट नं.14ए, वैशाली अपार्टमेंट कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110019
17. गार्ड फाईल / कप्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(**उमाशंकर सिंह**)
उप सचिव।